भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 595

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

कालाहांडी और नुआपाड़ा में सड़कें/राजमार्ग

595. श्रीमती मालविका देवी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कालाहांडी और नुआपाड़ा क्षेत्रों में सड़कों और राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए कुल कितना

बजट आवंटित किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा सड़कों और राजमार्गों पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और

(ग) दुर्घटनाओं में शामिल लोगों और उनके परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। बजट राज्यवार और एजेंसीवार आवंटित किए जाते हैं। एनएच के निर्माण और रखरखाव के लिए जिलावार बजट आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। 2014 से कालाहांडी और नुआपाड़ा क्षेत्र में 1,461.6 करोड़ रुपये की लागत वाली 16 राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के अनुबंध समझौते में आईआरसी कोड और सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार संवेदनशील स्थानों पर क्रैश बैरियर, सौर स्ट्रीट लाइट, रेट्रो रिफ्लेक्टराइज्ड साइनेज, रोड स्टड, रोड मार्किंग आदि जैसे पर्याप्त सड़क सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है।

(ग) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 161 के अनुसार, केंद्र सरकार हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की मृत्यु या गंभीर चोट के संबंध में मुआवजा प्रदान करेगी।

तदनुसार, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा योजना, 2022 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है और इसे 01.04.2022 से लागू किया गया है। इस योजना के तहत, मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये की एक निश्चित राशि प्रदान की जानी है, और गंभीर चोट के मामले में 50,000 रुपये की एक निश्चित राशि प्रदान की जानी है। योजना के तहत परिभाषित समयबद्ध प्रक्रिया के अनुसार दावेदारों को मुआवजा प्रदान किया जाना आवश्यक है। दावा जांच अधिकारी को दावा प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर अपनी सिफारिश के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसके बाद दावा निपटान आयुक्त को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दावे को मंजूरी देना आवश्यक है। इसके बाद, दावेदार को मुआवजे की राशि का हस्तांतरण मंजूरी आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर जीआई परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

*****